संख्या- 20 /2025/ 140 /चार-2025-1888117

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 16 जनवरी, 2025**

विषय:- सनातन गर्व - महाकुम्भ पर्व के अवसर पर प्रयागराज महाकुम्भ-2025 में संस्कृति विभाग के वालिन्टियर्स /प्रतिनिधियों हेतु शीतकालीन ड्रेस क्रय किये जाने पर होने वाले व्यय की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-4862/सं0नि0-15 (111)/ 2024-25, दिनांक 09.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रयागराज महाकुम्भ-2025 में संस्कृति विभाग के प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों/ प्रतिनिधियों हेतु शीतकालीन ड्रेस क्रय किये जाने के संबंध में रू0 18,95,788.00 की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार प्रयागराज महाकुम्भ-2025 में कार्य करने वाले संस्कृति विभाग के वालिन्टियर्स /प्रतिनिधियों हेतु निम्नानुसार शीतकालीन ड्रेस क्रय किये जाने के संबंध में **रू0 9,26,300.00 (रू0 नौ लाख छब्बीस हजार तीन सौ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र0	विवरण	संख्या	अनुमानित व्यय	जी0एस0टी0	योग
1	प्रयागराज महाकुम्भ-2025 में कार्य करने वाले वालिन्टियर्स/ प्रतिनिधि हेतु जैकेट, गर्म टोपा एवं दस्तानों का क्रय	200	7,85,000.00	1,41,300.00	9,26,300.00
				कुल योग	**9,26,300.00**

उक्त के साथ यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रयागराज, महाकुम्भ 2025 में वास्तविक रूप से कार्य करने वाले वालिन्टियर्स / प्रतिनिधि हेतु जैकेट, गर्म टोपा एवं दस्तानों का क्रय प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर किया जायेगा एवं 30 दिवस से कम दिवसों तक काम करने वाले वालिन्टियर्स / प्रतिनिधि से उक्त मद में व्यय की धनराशि उसके मानदेय से वसूल की जायेगी।

3. शर्तें / प्रतिबन्ध :-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने में राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों / गाइडलाइन्स एवं मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या- 57/18-2-2024-97 (ल0उ0)/2016 दिनांक 26.11.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(7) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(9) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का संबंधित संस्था/ संस्थान को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित कराया जायेगा।

(11) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(12) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रयागराज महाकुम्भ-2025 में प्रतिभाग कर रहे संस्कृति विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी हेतु कोट का क्रय किये जाने के संबंध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जायेगा।

(14) उपर्युक्त कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु संस्कृति निदेशालय द्वारा एक क्रय एवं सत्यापन समिति का गठन किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-14-महाकुम्भ-2025-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या - 20 /2025 / 140 (1) /चार-2025-1888117 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।